लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक विद्या/पी/मान्यता/2018/ 1342- भोपाल, दिनांक 08-05-2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय :— म0प्र0 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता 2017 के अंतर्गत वर्ष 2018—19 की मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु तिथि बढ़ाये जाने बाबत् ।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्र. विद्या/पी/मान्यता/2018/891 दिनांक 4.4.2018

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2018—19 हेतु मान्यता नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन एवं निरीक्षण उपरांत अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालकों को भेजने हेतु 22 अप्रेल 2018 तक एवं संयुक्त संचालक द्वारा नवीनीकरण प्रकरणों में दिनांक 30 अप्रेल 2018 तक निर्णय लिया जाना था ।

उक्त निर्देशों के उपरांत यह प्रकाश में आया है कि निर्धारित तिथि निकल जाने के उपरांत भी काफी प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में लंबित होने से उन पर निर्णय नहीं हुआ है ।

अतः निर्धारित तिथि तक ऑन लाईन प्राप्त मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 8.5.18 से 15.5.18 तक पोर्टल खोला जा रहा है । इस अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभी प्रकरणों का निराकरण करें । दिनांक 15.5.18 तक प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावेगी ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(डी0एस0 कुशवाह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क0 विद्या/पी/मान्यता/2018/ 1343- भोपाल, दिनांक 08-05-2018

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक मान. स्कूल शिक्षा मंत्री म.प्र. शासन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
4. प्रबंधक एम.पी. ऑन लाईन, डी.बी. मॉल, चतुर्थ तल, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण हेतु दिनांक 8.5.18 से 15.5.18 तक प्रकरणों के निराकरण हेतु पोर्टल खोलें ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

durga 4